



2026:RJ-JP:16880

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Cross Objection (Civil) No. 42/2022

Cholamandalam General Insurance Company Ltd.,

-----Petitioner

Versus

Pravesh Devi W/o Late Ajeet Singh,

-----Respondent

Connected With

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 303/2019

Cholamandalam General Insurance Co. Ltd. Through General Manager

-----Petitioner

Versus

Pravesh Devi W/o Late Ajeet Singh

-----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Rijwan Ahmed, Adv.

For Respondent(s) : Mr. Vimal Kumar Yadav, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

29/11/2023

एस.बी. सिविल क्रॉस आब्जेक्शन प्रार्थना पत्र संख्या 42/2022 बजाज अलायंस इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें कार्यालय द्वारा यह आपत्ति की गयी है कि मोटरयान अधिनियम की धारा 173 के प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम राशि 25,000/- रुपये जमा कराने की रसीद प्रस्तुत नहीं की गयी है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता आपत्तिकर्ता की ओर से अधीनस्थ अधिकरण की आदेशिका दिनांक 10.01.2020 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि कुल अवार्ड राशि 13,73,100/- रुपये है जिस पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाया गया है तथा क्रॉस आब्जेक्टर के रूप में 9,01,600/- रुपये अधीनस्थ अधिकरण में जमा करवा दिये गये हैं, अतः ऐसी स्थिति में धारा 173 मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों की पालना हो चुकी है।



उपरोक्त परिस्थितियों में कार्यालय द्वारा दर्शित आपत्ति को वेव किया जाता है।

प्रकरण दिनांक 13.12.2023 को पुनः सूचीबद्ध किया जावे।

(UMA SHANKER VYAS),J

Murari Lal Sharma /418